



### प्ररूप O-2, FORM O-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें) (See rules 36 and 37)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

# पौधा किस्म रजिस्ट्री PLANT VARIETIES REGISTRY

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण / PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली — 110012 / DPS Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012

श्विस्ट्रीकश्ण प्रमाण-पत्र/Certificate of Registration

पंजीकरण सं0./ Registration No.: REG/2024/1317

दाखिल करने की तारीख/ Date of Filing: 20 दिसंबर/December, 2024

जारी करने की तारीख/ Date of Grant: **5 मई/ May, 2025** 

आईसीएआर - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 ने घोषित किया है कि उसने चावल (Oryza sativa L.) फसल की विद्यमान (अधिसूचित) पौधा किस्म DRRH-4 (IET 27937) विकसित किया है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिकी) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है और यह कि उसके प्रक्ष में पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

और, वह उक्त पौधा किस्म के लिए आवेदन करते हुए अनुरोध करता है कि **विद्यमान (अधिसूचित)** पौधा किस्म का पंजीकरण उसके नाम पर किया जाये; और, उसने अपने आवेदन द्वारा और उसके, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और उसके अभिधान का उल्लेख करते है;

अतः यह विलेख है कि उपर्युक्त आवेदक (जिसमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या इनमें से कोई भी है) पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के उपबंधों और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए वर्ष 2022 के अगस्त माह की 31 तारीख से छः वर्षों की अविध के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत, उस किस्म के उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होगा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पंजीकरण की विधि मान्यता प्रत्याभूत नहीं की जाती है और इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए विहित फीस का सम्यक रूप से संदाय किया जाता है।

Whereas ICAR- Indian Institute of Rice Research, Rajendra Nagar, Hyderabad-500030 has declared that he has developed DRRH-4 (IET 27937) of Rice (*Oryza sativa* L.) as Extant (Notified) plant variety and that he is the true breeder thereof (or the legal representative or assignee of the true breeder) and that he is entitled to a plant variety right on the said variety, having regard to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and that there is no objection to the registration of plant variety in favour of him.

And whereas he has, by an application, requested that registration of **Extant (Notified)** plant variety may be allowed to him for the said plant variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the conditions specified in section 47 of the said Act, and the conditions and provisions specified by any other law for the time being in force, from the 31<sup>th</sup> day of August, 2022, have the exclusive right to produce, sell, market, distribute, import or export the variety for initial term of Six years & renewable for the remaining years and of authorizing any other person to do so, subject to the conditions that the validity of this registration is not guaranteed and that the fee prescribed for the continuance of this registration are duly paid.

इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने वर्ष 2025 के मई माह की 5 तारीख को पंजीकरण पर मुहर लगाई है। In witness thereof, the Registrar has caused this registration to be sealed as of the 5<sup>th</sup> day of May, 2025.



रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर/ Seal and Signature of the Registrar, पौधा किस्मार्जिस्ट्री/ Plant Wa Pieties Registry

> Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Govt. of India प्लांट अथॉरिटी भवन Plant Authority Bhawan.

टिप्पण/Note:

इस पंजीकरण को बनाए रखने के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है तो वर्ष 2026 के भई माह की 05 तारी खें को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी तारीख को देय होगी। The fees for maintenance of this registration, if it is to be maintained, will fall due on 05th day of May, 2026 and on the same day in every year thereafter.

## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

#### भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गाँव, नई दिल्ली — 110012 D P S Marg, Near Todapur Village, New Delhi - 110012

# श्जिश्ट्रीकश्ण का विवश्ण/Details of Registration

अधिकार धारक का नाम व पता/ Name & Address of Right holder: **आईसीएआर - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-**500030 / ICAR- Indian Institute of Rice Research, Rajendra Nagar, Hyderabad-500030

पंजीकरण सं./ Registration No.: REG/2024/1317 फसल/ Crop: चावल / Rice (Oryza sativa L.)

नाम/ Denomination: DRRH-4 (IET 27937) प्रदानीकरण की तिथि/ Date of grant: 5 मई / May, 2025

संरक्षण की अवधि/ Period of Protection: 15 वर्ष/ प्रारम्भ में छ: वर्षों की अवधि के लिए एवं शेष वर्षों के लिए नवीनीकरण के उपरांत Initial term of Six

Years and renewable up to 30 August, 2037

टिप्पण/Note- वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार होगा तथा ये प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV&FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India which is available on website of the Authority.

### वार्षिक शुल्क का विवरण/ Details of Annual Fee

			पानिक शुल्क का विवरण के	etalls of Annual Fee			
वर्ष/ Year	अवधि/ Period		पंजीकृत किस्म की बिकी / रॉयल्टी पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि/	देय वार्षिक शुल्क/	भुगतान की तारीख/	मुहर सहित पंजीकार के	
	से/ From	तक/ To	Date of filling of return on sale / royalty of registered variety	Annual fee payable	Date of Payment	हस्ताक्षर/ Signature of Registrar with seal	
पहला/I							
दूसरा/II						1	
तीसरां/III							
चौथा/IV							
पांचवा/V							
छटा/VI							
सातवां/VII							
आठवां/VIII							
नौवां/ IX							
दसवां/ X							
ग्यारहवां/XI							
बारहवां/XII				a			
तेरहवां/XIII							
चौदहवां/XIV							
पन्द्रहवां/ XV							
सोलहवां/XVI							
सत्रहवां/XVII							
अट्ठारहवां/XVIII							

<sup>\*</sup>वार्षिक शुल्क पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 35 के अंतर्गत प्रति वर्ष जमा कराया जाना है। यह शुल्क भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

<sup>\*</sup>Annual fee is to be deposited annual under Section 35 of PPV& FR Act, 2001. The fee will be as notified in the official gazette of India.

नवीकरण शुल्क का विवरण/ Details of Renewal Fee

नवीकरण शुल्क की राशि/	भुगतान की तिथि/	मुहर सहित पंजीकार के हस्ताक्षर/
Amount of Renewal Fee	Date of payment	Signature of Registrar with Seal

नवीकरण शुल्क/ Renewal Fee: वृक्षों और लताओं के मामले में 9 वर्ष के बाद तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के बाद अदा किया जाना चाहिए, बशर्ते की अधिकार धारक पंजीकरण जारी रखना चाहता हो। नवीकरण शुल्क की राशि पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार लागू है (समय—समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है) To be deposited after 9 years in case of trees and vines and after 6 years in case of other crops if the right holder wants to continue with the registration. The amount of renewal fee as applicable is given in Second Schedule of PPV&FR Rules, 2003 (as amended from time to time.